



समय बद्ध/द्वारा ईमेल/फैक्स/क्यूमेल/द्वारा वाहक/पंजीकृत डाक द्वारा

उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय, लखनऊ

महानगर लखनऊ-226006

फोन : 0522-2337452

फैक्स नं० : 0522-2337453

सीयूजी : 9454400167

Email : sec1@uppac.net

संख्या: पी.ए.सी.-1-153-2016(पार्ट-2)/३०९८
दिनांक: सितम्बर ३० २०१९

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उ०प्र० पुलिस विभाग।
2. समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ०प्र०।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र०।
4. समस्त प्रभारी प्रशिक्षण संस्थान/समस्त आर०टी०सी०, उ०प्र०।
5. पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, खाद्य प्रकोष्ठ, उ०प्र०, लखनऊ।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ./ए०टी०एस०/एस०आई०टी०, लखनऊ।
8. पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा, शाखा शाखा अभिसूचना विभाग, लखनऊ।
9. सेनानायक, विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी, उ०प्र० लखनऊ।
10. सेनानायक, एस०डी०आर०एफ० लखनऊ।
11. पुलिस अधीक्षक, 100 डायल उ०प्र० लखनऊ।
12. अपर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल स्टोर, कानपुर।
13. उपसेनानायक, स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फौर्स, लखीमपुर खीरी उ०प्र०।
14. पुलिस अधीक्षक, वूमेन पावर लाइन (1090) उ०प्र० लखनऊ।

विषय : –

मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर(वि०श्रे०) उ०नि०स०पु० (वि०श्रे०) संवर्ग की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

अवगत कराना है कि इस मुख्यालय में प्राप्त नामांकन के आधार पर मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर (विशेष श्रेणी) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस (वि०श्रे०) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची वर्ष-2005 (31-12-2005) तक मुख्य आरक्षी पद पर प्रोन्ति प्राप्त) उ०प्र० पुलिस की बेवसाइट के पीएसी फोल्डर पर प्रकाशित की गई है। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति ई-मेल के माध्यम से भी आपको प्रेषित है। उ०प्र० पुलिस की बेवसाइट पर https://uppolice.gov.in पर जाकर पीएसी शीर्षक के अन्तर्गत circular's पर क्लिक करके भी प्राप्त की जा सकती है।

2- मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर(विशेष श्रेणी)उ०नि० सशस्त्र पुलिस(वि०श्रे०) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उत्तर प्रदेश आर्स कान्ट्रेबुलरी अधिकारी सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण निम्नवत् किया गया है:-

- (1) मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस की ज्येष्ठता उनके मुख्य आरक्षी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की गयी है।
- (2) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों के पद भार ग्रहण करने की तिथि समान है तो आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की गयी है।
- (3) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो जन्मतिथि के आधार पर ज्येष्ठता अवधारित की गयी है।

(4) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि समान है तो हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार ज्येष्ठता अवधारित की गयी है।

3— उक्त सूची का भली-भृति परीक्षण करा लें तथा सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनी/ के सूचना पट गणना सम्मेलन एवं व्यवस्थापन के माध्यम से कराते हुए संबंधित कर्मियों को सूचित कर दें। यदि कोई कर्मी प्रतिनियुक्त पर हो तो उसे भी अपने स्तर से सूचित कर दें। जनपदों/इकाईयों में व्यवस्थापित पीएसी कंपनियों के कर्मियों को वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

4— उ0प्र0 के समस्त जनपद/इकाई/शाखाओं/पीएसी वाहिनियों से प्राप्त सूचना के आधार पर सूची को तैयार किया गया है। सूची को तैयार करते समय शुद्धता का ध्यान रखा गया है, परन्तु यदि किसी मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कामांडर (विशेष श्रेणी) उ0नि0स0पु0(वि0श्रो) को अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो उससे लिखित आपत्ति एवं इकाई/जनपद/शाखाओं में उपलब्ध अभिलेख की प्रभागित पठनीय छाया प्रति प्राप्त कर उसके अभिलेखों से परीक्षण कर लिया जाये तत्पश्चात जनपद/पीएसी/इकाई/शाखा प्रभारी सभी संकलित प्रत्यावेदनों का निवारण उनके सेवा अभिलेखों से कराले तथा अन्तिम कार्यवाही क्या होनी चाहिए प्रत्येक प्रत्यावेदन के समक्ष अंकित कर सम्बन्धित भिज्ञ कर्मचारी के माध्यम से पीएसी की सूचना संबंधित पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी अनुभाग के माध्यम से तथा जनपद एवं गैर पीएसी शाखा/इकाई में नियुक्त कर्मियों के प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों का अभिलेखों के अनुसार परीक्षण कराकर तथ्यों सहित अन्तिम कार्यवाही की स्पष्ट टिप्पणी परिष्केत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक के माध्यम से किसी भिज्ञ कर्मी के द्वारा दिनांक: 16-10-2019 की रात्रि 12.00 बजे तक पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार इनकी वरिष्ठता सूची का अन्तिम स्वरूप तैयार किया जा सके। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों स्वीकार नहीं की जायेगी।

5— अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त के अतिरिक्त ई-मेल के माध्यम से भेजी जा रही सूचना का सत्यापन करा लें कि अधीनस्थ नियुक्त किसी मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कामांडर(विशेष श्रेणी)उ0नि0स0पु0(वि0श्रो) सर्वांग का नाम प्रकाशित अन्तिम वरिष्ठता सूची में छूटा नहीं है, तथा समस्त प्रविष्टियाँ अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि किसी का नाम छूटा है या कोई प्रविष्टियों त्रुटिपूर्ण हैं तो इस सम्बन्ध में इस मुख्यालय को निर्धारित तिथि व समय के अन्दर उपरोक्तानुसार सूचित करने का कष्ट करें। यदि प्रकाशित होने वाली अन्तिम वरिष्ठता सूची में सूचना के अभाव में किसी मु0आ0 स0पु0/पीएसी उ0नि0स0पु0(वि0श्रो)/प्लाटून कामांडर(वि0श्रो) का नाम सम्मिलित होने से छूट जायेगा तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी।

6— पुनः स्पष्ट करना है कि प्रकाशित अन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित प्रविष्टियों का सत्यापन सम्बन्धित कर्मी के सेवा अभिलेखों से अवश्य करा लिया जाय और मुख्य रूप से पदोन्नति तिथि, भर्ती तिथि एवं जन्मतिथि आदि की सूचना किसी भी परिस्थितियों में त्रुटिपूर्ण न हो इसका विशेष ध्यान दिया जाय।

संलग्नक: वरिष्ठता सूची।

(एन0 चौधरी) पृष्ठ
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं समय से सूचना भिजवाने हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, डा0भीमराम अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर/मुरादाबाद/१०पी०टी०सी०, सीतापुर/१०पी०टी०सी०, उन्नाव/पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ/मुरादाबाद/गोरखपुर/उन्नाव/चुनार, मिर्जापुर/जालौन/सुल्तानपुर।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उ0प्र0।
6. पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना/कार्मिक) पुलिस भवन उ0प्र0 लखनऊ
7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, परिष्केत्र, उ0प्र0।
8. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग, उ0प्र0।
9. पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र जवाहर भवन लखनऊ।
10. पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय/तकनीकी सेवायें/सी०बी०सी०आई०डी०/सर्तकता अधिष्ठान ई०आ०डब्लू/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, खाद्य प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ।
11. पुलिस अधीक्षक, यातायात, निवेशालय, लखनऊ।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
13. प्रतिलिपि—मूलपरनहीं—प्रभारी अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-05पीएसी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि निर्गत की गई उक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित कर्मियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 के समस्त जनपद/इकाई/शाखा/आरटीसी से प्राप्त होने वाली आपत्तियों/संशोधित सूचना को निर्गत की गई अन्तिम वरिष्ठता सूची में संशोधित करके सीडी/अभिलेखों सहित अनुभाग—एक को समय से उपलब्ध कराये तथा समस्त जनपद/इकाई/शाखाओं से यह भी सूचना प्राप्त कर लेवे की उनके यहाँ नियुक्त वर्ष-2005 तक के किसी उ0नि0स0पु0(वि0श्रो)/मु0आ०स0पु0 का नाम सूची में अंकित करने से छूटा नहीं है और नहीं संबंधित कर्मी को कोई आपत्ति है ताकि संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार कर समय से निर्गत की जा सके।